आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.09.2023	**वाद सं0–31/2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री लल्लू साव एवं अन्य ग्राम–टोंगरा, पंचायत–कोशी, थाना–हुसैनाबाद, जिला–पलामू, Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकरी, पलामू आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग ने 07.08.2023 के आदेश में उपायुक्त, पलामू को निर्देश दिया था, कि जिला स्तर के पदाधिकारी से पूरे मामले की जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को भेजें। गौरतलब है कि 07.08.2023 की सुनवाई में शिकायतकर्त्ता ने आयोग को दूरभाष के माध्यम से यह बताया था कि कई शिकायतकर्त्ता पर दबाव डाल कर यह लिखवाया गया है कि उन्होंने यह शिकायत नहीं की है। आयोग ने शिकायतकर्त्ता के आरोपो को गम्भीरता से लेते हुए उपायुक्त, पलामू को जाँच का निर्देश दिया था। आयोग के आदेश के आलोक में उपायुक्त, पलामू ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा की गई जाँच की प्रति आयोग को भेजा है। आयोग के निर्देश के आलोक में पूरे जाँच प्रक्रिया की वीडियो रिकॉडिग भी करायी गई है, वीडियो रिकॉडिग का पेन ड्राइव जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू द्वारा सशरीर उपस्थित होकर आयोग में प्रस्तुत किया गया। जाँच प्रतिवेदन में अधिकतर लोगों ने ये बात स्वीकार की है कि शिकायत पत्र पर उनसे हस्ताक्षर उनकी सहमती के बगैर दबाव डालकर या गुमराह कर के कराया गया। इस बीच आज की सुनवाई में Video Conference के माध्यम से उपस्थित लल्लू साव का कहना है कि अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू द्वारा पेश किये गये जाँच प्रतिवेदन में कई लोगों ने ये बात लिखित और मौखिक रूप से कहा है कि उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग आज की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को निर्देश देता है कि जाँच प्रतिवेदन में जिन लोगों ने ये कहा है कि उन्हें राशन नहीं मिला है उन लोगों को जिस अवधि से राशन नहीं मिला है, उस अवधि का राशन सवा गुणा मुआवजे के साथ उपलब्ध करायें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह निर्देश भी देता है कि जाँच प्रतिवेदन में जिन लोगों को अनुपस्थित दिखाया गया है उनसे भी सर्म्पक कर ये जानने	

D:\Rachana\Court order.docx5

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	का प्रयास करें कि उन्होंने शिकायत की थी अथवा नहीं यदि उन लोगों को भी राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो उन्हें भी सवा गुणा मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराये। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये निर्देश देता है कि आयोग के आज के आदेश का अनुपालन कर दिये जाने का प्रमाण आयोग को भेजे। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आज के आदेश का प्रमाण नहीं भेजा तो आयोग इस वाद की सुनवाई पुनः करने को बाध्य होगा फिलहाल आयोग उपरोक्त निर्देश के आलोक में इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Rachana\Court order.docx6

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267